भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 155

04 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रैप केंद्र

155. श्री बलबीर सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात स्क्रैप नीति आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति के अनुसार स्क्रैप केंद्र स्थापित किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्क्रैप की बिक्री पर कोई प्रोत्साहन निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्क्रैप केंद्रों को मंजूरी दिये जाने में शामिल मंत्रालयो के नाम और उक्त स्क्रैप नीति के कार्यान्वयन में उनकी विस्तृत भूमिका क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) और (ख): इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को भारत के राजपत्र में दिनांक 07 नंवबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 354 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इस नीति में विभिन्न स्रोतों तथा विविध उत्पादों से सृजित होने वाले फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराई गई है। यह नीति विखंडन केन्द्रों तथा स्क्रैप प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना, एग्रीगेटरों की भूमिका तथा सरकार, विनिर्माता तथा मालिकों के दायित्वों के संबंध में मानक दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अनुसार, सरकार की भूमिका देश में स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों तथा निवेशकों हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए एक सुविधाप्रदाता की है। उद्यमियों द्वारा स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना का निर्णय वाणिज्यिक व्यवहार्यताओं के आधार पर लिया जाता है।

(ग) सरकार ने स्क्रैप की बिक्री के लिए कोई प्रोत्साहन निर्धारित नहीं किया है। इसे दिशानिर्देशों तथा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर संचालित किया जाएगा।

(घ) स्क्रैप केन्द्रों को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

*****